आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के वारे में टिप्पणी और तारीख
15.10.2020	न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया	

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया

सी0सी0ए0 वाद संख्या-66/2020

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य

बनाम

सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-बालूटोल, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** के **5948/सी0आर0, दिनांक 26.09.2020** के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी **सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-बालूटोल, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी **सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-बालूटोल, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** एक मुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है। वर्त्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। इससे आगामी विधान सभा चुनाव 2020 के अवसर के दौरान शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. **सरसी थाना कांड संख्या-128/2018 दिनांक-30.09.2018, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट**
2. **सरसी थाना काण्ड संख्या-47/2020 दिनांक-31.03.2020, धारा-147, 149, 341, 342, 427, 447, 504, 506 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।**

3. सरसी थाना सनहा संख्या-222/2020 दिनांक-11.09.2020

4. सरसी थाना सनहा संख्या-230/2020 दिनांक-12.09.2020

इस वाद में विपक्षी द्वारा दिनांक 10.10.2020 को उपस्थिति दी गई, जिन्हें कारणपृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया, परन्तु आज की सुनवाई में विपक्षी उपस्थित नहीं हुए तथा कारणपृच्छ समर्पित नहीं किया। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि इस वाद में उन्हें कुछ नहीं कहना है।

विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मै संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये **"असामाजिक तत्व"** है तथा इनकी गतिविधि संदिग्ध है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय **XVI** या अध्याय **XVII** के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है।

अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर **सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-बालूटोल, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के अंतर्गत आदेश निर्गत होने की तिथि से बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 की मतगणना तिथि तक प्रत्येक सप्ताह **सोमवार एवं शुक्रवार** को **थाना-कसबा** अंतर्गत उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है।

उक्त अपराधकर्मी को आदेश का तामिला **थानाध्यक्ष, सरसी** द्वारा कराया जाएगा।

थानाध्यक्ष, कसबा को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में अपराधकर्मी **सिकन्दर यादव उर्फ बाबाजी यादव, पिता-महेन्द्र यादव, सा0-बालूटोल, थाना-सरसी, जिला-पूर्णिया** के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक निर्धारित दिवस में उक्त अपराधकर्मी का उपस्थिति दर्ज करवायेंगें तथा प्रतिवेदन **पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

बिहार विधान सभा निर्वाचन 2020 अंतर्गत अपने मताधिकार का उपयोग करने हेतु विपक्षी मतदान की तिथि से कम से कम एक दिन पूर्व निर्धारित मतदान केन्द्र पर आने-जाने का रूट चार्ट

थानाध्यक्ष, सरसी को प्रस्तुत कर अनुमति प्राप्त करेंगे तथा मतदान की तिथि को निर्धारित मतदान केन्द्र पर अपने मत का प्रयोग कर उसी रूट चार्ट के अनुसार पुनः वापस आएंगे। इस अवधि में **थानाध्यक्ष, सरसी** अपराधकर्मी पर निगरानी रखेंगे।

आदेश की प्रति **अनुमंडल पुलिस** पदाधिकारी, सदर / **बनमनखी** तथा पुलिस अधीक्षक, **पूर्णिया** को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति **जिला जन** सम्पर्क पदाधिकारी, **पूर्णिया** को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु **जिला सूचना एवं** विज्ञान पदाधिकारी, **पूर्णिया** को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

ज्ञापांक 2646 / विधि, पूर्णियाँ, दिनांक 16.10.20

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, सरसी / कसबा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनु० पुलिस पदा० सदर / बनमनखी / जिला जन सम्पर्क पदा० पूर्णियाँ / जिला सूचना एवं विज्ञान पदा० पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16/10/20

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
पूर्णियाँ
16.10.20

D:\Legal Letter 2020\CCA-3\CCA-3 Final Order-2020